निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1273) पटना, बुधवार, 23 जुलाई 2025

सं० प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–1)—3457
ऊर्जा विभाग

संकल्प
18 जुलाई 2025

विषयः– राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के साथ–साथ राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के स्तर पर इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवष्यकता है। उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा सयंत्र लगने से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत के लिए अत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिससे राज्य सरकार की जीवाश्म ईंधन आधारित पावर प्लांट पर निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ यह वितरण कम्पनियों को नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता को पूरा करने में मददगार साबित होगा और इससे काफी बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जा सकेगा।

2. राज्य में वर्तमान में कुल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 1,86,60,000 (एक करोड़ छियासी लाख साठ हजार) है, जिनमें 125 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1,67,94,000 (एक करोड़ सड़सठ लाख चौरानवें हजार) है जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 90 प्रतिशत है। इस तथ्य के आलोक में यदि राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति माह तक शत–प्रतिशत अनुदान पर बिजली दी जाती है एवं उनके घर के छतों पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है तो राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को, विशेषकर, कम बिजली खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ होगा, जिससे न केवल इन घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार भी होगा। साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत प्रत्येक वर्ष अनुदान की राशि दी जाती है। यदि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रतिमाह बिजली खपत पर शत–प्रतिशत अनुदान विस्तारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार पर विद्युत अनुदान के मद में प्रति वर्ष

अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इस प्रकार वर्तमान स्थिति के अनुसार माह जुलाई, 2025 के खपत के आधार पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रतिमाह की खपत तक शत–प्रतिषत अनुदान देने पर 01 अगस्त, 2025 से मार्च, 2026 तक विद्युत अनुदान मद में राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 19792.00 करोड़ रूपये के वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा एवं अगले वित्तीय वर्षो में यह राशि बढ़ती जायेगी। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी छतों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन के उपरांत इसमें भविष्य में क्रमशः कमी आएगी।

4. राज्य सरकार पर विद्युत अनुदान मद में प्रत्येक वर्ष पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को कम करने एवं राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घर की छतों पर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता के (प्रति उपभोक्ता) सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन को 125 यूनिट शत–प्रतिशत अनुदान बिजली योजना से सम्बद्ध किया जाता है। 1.1 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रति माह लगभग 125 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है जिससे राज्य सरकार द्वारा विद्युत अनुदान के मद में वहन किये जाने वाले वित्तीय भार को समायोजित किया जा सकेगा। साथ ही हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

5. राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति माह शत–प्रतिशत अनुदान पर बिजली योजना के लाभ हेतु उन्हें अपने घर की छत पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर अगले तीन वर्षों के अन्दर कम–से–कम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के अधिष्ठापन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस कार्य हेतु उपभोक्ताओं से सहमति प्राप्त की जायेगी। सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु कुटीर ज्योति के उपभोक्ताओं को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़े एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को कम वित्तीय भार पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के द्वारा अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा। इसमें भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

6. उपरोक्त व्यवस्था से ऐसे उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट है, उन्हें कोई बिजली बिल नहीं देना होगा एवं वैसे उपभोक्ता जिनका मासिक खपत 125 यूनिट से ज्यादा है उन्हें भी 125 यूनिट तक शत–प्रतिशत अनुदान पर बिजली मिलेगी। 125 यूनिट से अतिरिक्त मासिक खपत पर उपभोक्ताओं को पूर्ववत् अनुदान देते हुए शेष राशि का ही विद्युत शुल्क भुगतेय होगा।

7. राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष– 0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष– 33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. अतएव राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के साथ–साथ राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

9. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1273-571+200-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in